सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 408 राँची, मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 जुलाई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-30/2015-31749 (HRMS)--श्रीमती वन्दना भारती, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-407/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नाला, जामताड़ा के विरूद्ध उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-443/गो0, दिनांक 07.04.2015 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्रीमती भारती के विरूद्ध अनुशासनहीनता, अनधिकृत अनुपस्थिति, प्राथमिकी दर्ज करने में जानबूझकर विलम्ब करने, सरकारी वाहन का दुरूपयोग एवं सरकारी कार्यों के संपादन में उदासीनता संबंधी कुल-5 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6347, दिनांक 16.07.2025 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्रीमती भारती से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्रीमती भारती के पत्रांक-75, दिनांक 26.07.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्रीमती भारती के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-21868, दिनांक 27.06.2023 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-357, दिनांक 15.05.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित एक भी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया ।

श्रीमती भारती के विरूद्ध गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई ।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्रीमती वन्दना भारती, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-407/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नाला, जामताड़ा को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती वन्दना भारती, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	BANDANA BHARTI 110033395465	श्रीमती वन्दना भारती, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-407/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, नाला, जामताड़ा को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 408 - 50